न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 06/2022 नामांतरकरण अपील

1. रतनलाल पुत्र गोपी जाति कुम्हार निवासी ग्राम कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 29.12.2021 ग्राम कालवान तहसील सिकराय)

उपस्थिति :–: श्री राकेश जैमन, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

दिनांक: 13.04.2026

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने अपीलान्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 0.25 है0 ग्राम कालवान तहसील सिकराय के अपीलान्ट को बिना सुने एक तरफा बिना नोटिस दिये अवैधानिक तरीके से टुकडे कर दिये व खसरा नम्बर 1191/1038,1192/1038, 1193/1038 दर्ज कर दिये तथा अपीलाधीन नामान्तकरण के जरिये खसरा नम्बर 1192/1038 गैर मुमकीन रास्ता अपीलान्ट को बिना सुने दर्ज कर दिया। उक्त नामान्तकरण संख्या 401 दिनांक 29.12.2021 ग्राम कालवान तहसील सिकराय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि कानूनन अपीलान्ट की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा में न तो टुकडे किये जा सकते है और न ही गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जा सकता है।भूमि खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.25 है0 ग्राम कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है उक्त भूमि पर न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय से प्रकरण उनवानी रतनलाल बनाम गिर्राज आदि में स्थगन आदेश जारी है कि उक्त वादी की खातेदारी भूमि किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 07.12.2021 को जारी हुआ है। न्यायालय के स्थगन के बावजूद भी तहसीलदार सिकराय ने अवैधानिक तरीके से अपीलाधीन नामान्तकरण के जरिये उक्त भूमि के बटा नम्बर बनाते हुये नए खसरा नम्बर 1191/1038,1193/1038 व 1192/1038 गैर मुमकीन रास्ता अपीलान्ट को बिना सुने व बिना नोटिस दिये ही एकतरफा दर्ज कर दिये। जो कानूनन निरस्तनीय है। अपीलान्ट उसकी खातेदारी में दर्ज भूमि में रास्ता देने के लिए सहमत नही था और अपीलान्ट की उक्त भूमि में होकर कभी कोई रास्ता भी नहीं रहा, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय जबरन उक्त भूमि में होकर रास्ता निकालने पर आमादा है। कानूनन अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 401 दिनांक 29.12.2021 ग्राम कालवान को निरस्त फरमावें।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

Scanned with OKEN Scanner

राजकीय अधीवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा 29.12.2021 को स्वीकृत किया गया है। जिसकी अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः अपील खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तकरण न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के आदेश की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में अनुतोष प्राप्त करने हेतु सक्षम अपीलेट न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिए थी। प्रश्नगत नामांतरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

13/4/26

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/4/2026

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Scanned with OKEN Scanner